


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
01	02	03	04
1	वीणा गुप्ता व्याख्याता इतिहास राबाउमावि,सी-स्कीम जयपुर	नवम्बर 2018 से दिसम्बर 2018(दो माह)	वा. शाहपुरा-जयपुर में व्याख्याता - इतिहास के रिक्त पद के विरुद्ध ।

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 20/2/19

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय ।
3. सम्बन्धित शाला/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर